>

Title: Need to include Jat Community of Bharatpur and Dholpur districts of Rajasthan in the Central list of other backward classes.

श्री रतन सिंह (भरतपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भरतपुर और धौलपुर की जाट जाति को केन्द्रीय सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जब कि राजस्थान के सभी जाटों को केन्द्र में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर भरतपुर एवं धौलपुर दोनों जिलों के जाटों को वंचित कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 3-11-99 से जाटों को भरतपुर एवं धौलपुर जिलों को छोड़ कर अन्य पिछड़ा वर्ग में जोड़ा था। इस आदेश में इन दोनों जिलों के जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची से बाहर रखा गया था। तत्पश्चात् राजस्थान सरकार ने वास्तविकता को देखते हुए, सही तथ्यों को देखते हुए अपने आदेश दिनांक 10-01-2000 से इन दोनों जिलों के जाटों को भी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर समस्त राजस्थान की जाट जाति को यह लाभ प्रदान किया।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत का राजपत्र भाग-1, 27 अक्तूबर, 1999 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में राजस्थान राज्य के क्रमांक 11 पर जाट, भरतपुर-धौलपुर के अतिरिक्त जोड़ा गया है। इस प्रकार भारत सरकार ने राजस्थान राज्य की जाट जाति को भरतपुर, धौलपुर के अतिरिक्त केन्द्र में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर भरतपुर एवं धौलपुर इन दोनों जिलों के जाटों को छोड़ा गया है। यह न्यायोचित नहीं था। भरतपुर एवं धौलपुर के जाट अपने साथ हुए अन्याय के विरूद्ध पिछले दस वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इनको आज तक न्याय नहीं मिला है। भरतपुर एवं धौलपुर के जाटों को राजस्थान के समस्त अन्य जिलों के समान केंद्र के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल कर, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में शामिल किए जाने हेतु संशोधन कराने की कृपा करायें, जिससे केंद्रीय सेवाओं में धौलपुर और भरतपुर के जाटों को भी दूसरों के समान लाभ मिल सके। हम सभी धौलपुर और भरतपुर वासी आपके बहुत आभारी होंगे। कृपया इस पर शीघ्र कार्यवाही करें, धन्यवाद।